



2026:AHC: 173074

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट याचिका संख्या - 759 वर्ष 2026

रिद्धी जायसवाल अवयस्क

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 4 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता

: देवांग सावला, उत्कर्ष श्रीवास्तव

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता

: अंजू शुक्ला, शासकीय अधिवक्ता, शैलेंद्र नाथ तिवारी,
शैलेश पांडे

न्यायालय संख्या- 73

माननीय न्यायमूर्ति संदीप जैन

आदेश दिनांक 09.07.2026 के माध्यम से, बंदी (कार्पस), रिद्धी जायसवाल की अस्थायी अभिरक्षा याचिकाकर्ता, डॉ. आशीष प्रकाश जायसवाल को सौंप दी गई थी, जबकि प्रत्यर्थी संख्या 4, चांदनी जायसवाल, जो याचिकाकर्ता की अलग रह रही पत्नी है, को मुलाकात का अधिकार प्रदान किया गया था और उसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बंदी (कार्पस) के साथ बातचीत करने की भी अनुमति दी गई थी। आज, याचिकाकर्ता, डॉ. आशीष प्रकाश जायसवाल, प्रत्यर्थी संख्या 4, चांदनी जायसवाल और बंदी (कार्पस), रिद्धी जायसवाल इस न्यायालय के समक्ष उपस्थित हैं।

इस न्यायालय ने बंदी (कार्पस), रिद्धी जायसवाल से बातचीत किया, जिसने कहा कि वह अपने पिता के साथ काफी सहज है और उनके साथ रह रही है। उसने आगे कहा कि उसके दादा-दादी भी उनके साथ अमरावती, महाराष्ट्र में रह रहे हैं, जहां याचिकाकर्ता वर्तमान में रह रहा है। बंदी (कार्पस) के हाव-भाव और आचरण से, यह स्पष्ट था कि उसने याचिकाकर्ता के साथ एक मजबूत भावनात्मक बंधन विकसित कर लिया है और वह उसकी संगति और अभिरक्षा में सुरक्षित और

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



सहज महसूस करती है। उसने स्पष्ट रूप से अपने पिता, डॉ. आशीष प्रकाश जायसवाल के साथ रहने की अपनी इच्छा व्यक्त किया।

इस न्यायालय ने याचिकाकर्ता, डॉ. आशीष प्रकाश जायसवाल से भी बातचीत किया, जिसने खुलासा किया कि, इस बीच, 30.07.2026 को विद्वान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, अमरावती द्वारा तलाक की एकपक्षीय डिक्री पारित की गई थी, जिसके द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 4, चांदनी जायसवाल के साथ उसका विवाह भंग हो गया है। उसने तर्क दिया कि वह बंदी (कार्पस) की उचित देखभाल कर रहा है और न्यायालय के समक्ष उसकी भलाई और हाव-भाव यह प्रदर्शित करते हैं कि उसकी पर्याप्त देखभाल की जा रही है। इसलिए, उसने प्रार्थना की कि, बाद के घटनाक्रमों के दृष्टिगत, बंदी (कार्पस) की स्थायी अभिरक्षा उसे सौंपी जाए। उसने आगे तर्क दिया कि वह पेशे से एक डॉक्टर है और आर्थिक रूप से बंदी (कार्पस) का भरण-पोषण करने और उसकी सभी आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम है।

इस न्यायालय ने प्रत्यर्थी संख्या 4, चांदनी जायसवाल से भी बातचीत किया। उसने अभिकथन किया कि याचिकाकर्ता ने धोखाधड़ी से तलाक की एकपक्षीय डिक्री प्राप्त की थी, क्योंकि, उसके अनुसार, उसे कार्यवाहियों का कोई नोटिस कभी तामील नहीं किया गया था। उसने तर्क दिया कि वह याचिकाकर्ता के साथ उनके वैवाहिक घर में रहने के लिए इच्छुक थी, हालांकि, याचिकाकर्ता द्वारा प्राप्त तलाक की डिक्री के दृष्टिगत, ऐसी व्यवस्था अब विधिक या व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है। उसने अवयस्क बंदी (कार्पस) की स्थायी अभिरक्षा का दावा किया। हालांकि, बंदी (कार्पस) के साथ न्यायालय की बातचीत, उसकी प्राथमिकता की स्पष्ट अभिव्यक्ति, और उस मजबूत भावनात्मक बंधन को ध्यान में रखते हुए जो वह याचिकाकर्ता के साथ विकसित करती प्रतीत होती है, यह न्यायालय बंदी (कार्पस) की मौजूदा अभिरक्षा में व्यवधान डालने के लिए सहमत नहीं है।

प्रत्यर्थी संख्या 4 ने आगे तर्क दिया कि, यद्यपि उसे मुलाकात का अधिकार प्रदान किया गया है, वह याचिकाकर्ता के निवास पर जाने में असमर्थ है क्योंकि उसके विरुद्ध कुछ आपराधिक वाद दर्ज किए गए हैं और उसे महाराष्ट्र पुलिस द्वारा अपनी गिरफ्तारी की आशंका है। जो भी हो, इस आधार पर प्रत्यर्थी द्वारा व्यक्त की गई आशंका एक ऐसा मामला है, जो वर्तमान कार्यवाहियों के

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



दायरे से बाहर है, और वर्तमान रिट याचिका में उस संबंध में उचित रूप से कोई निर्देश जारी नहीं किया जा सकता है।

प्रत्यर्थी ने यह भी शिकायत किया कि, यद्यपि उसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बंदी (कार्पस) के साथ बातचीत करने की अनुमति दी गई है, याचिकाकर्ता अक्सर ऐसी बातचीत में हस्तक्षेप करता है, जिससे वह बंदी (कार्पस) के साथ कोई भी सार्थक और निर्बाध बातचीत करने से वंचित रह जाती है। अपने तर्क के समर्थन में, उसने न्यायालय के समक्ष ऐसी ही एक बातचीत किया वीडियो रिकॉर्डिंग प्रस्तुत किया। उक्त रिकॉर्डिंग को देखने पर, यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता बंदी (कार्पस) के पास बैठा था और बंदी (कार्पस) और प्रत्यर्थी के बीच बातचीत के दौरान बार-बार हस्तक्षेप कर रहा था।

इन परिस्थितियों में, यह निर्देश दिया जाता है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बंदी (कार्पस) और प्रत्यर्थी संख्या 4 के बीच बातचीत को सुविधाजनक बनाते समय, याचिकाकर्ता ऐसी बातचीत में कोई हस्तक्षेप, रुकावट या अन्यथा बाधा उत्पन्न नहीं करेगा। प्रत्यर्थी को पहले ही प्रतिदिन 06:00 पी.एम. और 09:00 पी.एम. के बीच बंदी (कार्पस) के साथ बातचीत करने का अधिकार प्रदान किया जा चुका है। ऐसी बातचीत को याचिकाकर्ता के किसी भी हस्तक्षेप के बिना, स्वतंत्र, निर्बाध और सार्थक तरीके से अनुमति दी जाएगी।

यह आगे स्पष्ट किया जाता है कि प्रत्यर्थी संख्या 4 याचिकाकर्ता या बंदी (कार्पस) को कोई परेशानी पैदा किए बिना बंदी (कार्पस) से मिलने और बातचीत करने के प्रयोजन से याचिकाकर्ता के निवास पर जाने के लिए भी स्वतंत्र होगी।

वाद की समग्र परिस्थितियों, बंदी (कार्पस) के साथ न्यायालय की बातचीत, उसकी व्यक्ति प्राथमिकता, याचिकाकर्ता के साथ उसके स्पष्ट भावनात्मक लगाव, और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि वह उसकी अभिरक्षा में सहज, सुरक्षित और अच्छी तरह से देखभाल की जाने वाली प्रतीत होती है, इस न्यायालय का यह सुविचारित विचार है कि बंदी (कार्पस) का कल्याण और सर्वोत्तम हित याचिकाकर्ता के साथ उसकी अभिरक्षा जारी रखने में पूरा होगा। तदनुसार, बंदी (कार्पस), रिद्धी जायसवाल की स्थायी अभिरक्षा एतद्वारा याचिकाकर्ता, डॉ. आशीष प्रकाश जायसवाल को सौंपी जाती है, जो प्रत्यर्थी संख्या 4 के मुलाकात और बातचीत के अधिकारों के अधीन है, जैसा कि यहां ऊपर इंगित किया गया है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



पूर्वोक्त टिप्पणियों और निर्देशों के साथ, रिट याचिका निस्तारित की जाती है।

(न्यायमूर्ति संदीप जैन)

17 अगस्त, 2026

हिमांशु

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”